भायंदर सन

BHAYANDER SUN

PRGI No. : MHHIN/26/A2219

Email : bhayandersun@gmail.com

वर्ष : 1 * अंक : 1 * दि. 1 से 15 जून 2026 * संपादक : संजय डी. राय * ठाणे * पृष्ठ : 8 * मूल्य : 5 रुपये

शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह के स्मारक को लेकर भाईंदर में मुद्दा गरमाया

भगत सिंह के पुतले की अवमानना पर संघर्ष समिति ने उठायी आपत्ति

सुभाष पांडेय
स्पेशल क्राइम रिपोर्टर

भाईंदर। ' मूलभूत अधिकार संघर्ष समिति ' महाराष्ट्र राज्य के मीरा-भाईंदर शहर प्रमुख घनश्याम आंबोकर , राज्य कारिणी पदाधिकारी राजन नेरुलकर, उर्दू दैनिक ' इंक़लाब ' के वरिष्ठ पत्रकार साज़िद शेख ने मीरा-भाईंदर महानगर पालिका की महापौर डिंपल मेहता को लिखित में प्रतिवेदन देकर शहर अभियंता दीपक खाम्बित द्वारा भगत सिंह के संदर्भ में अपमानजनक प्रेस-नोट निकालकर विरोध जताया तथा पुनः ' शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह ' का ससम्मान पुतला लगाने की मांग की है।

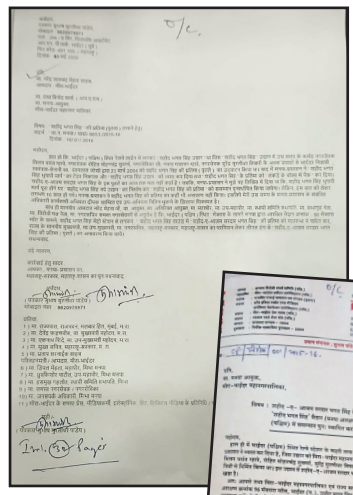

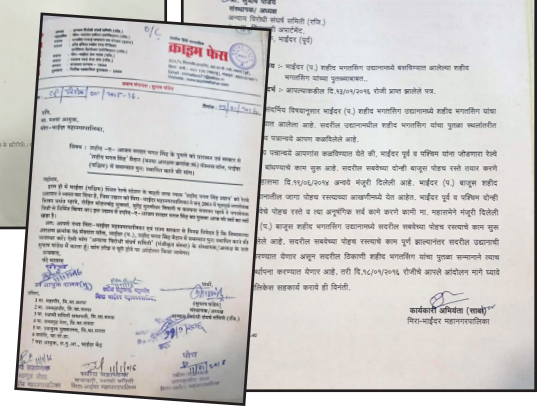

शहर के क्रांतिकारी नेता एवं वरिष्ठ-पत्रकार घनश्याम आंबोकर ने ' शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह ' के पुतले को अवैध कहने की बात को ' शहीद की अवमानना ' मानते हुवे जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भगत सिंह के स्मारक पर अभद्र टिप्पणी पर घोर शब्दों में निंदा की है और कहा - " शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह देश के लिए हंसते-हंसते वंदे मातरम का नारा लगाते हुवे फांसी के बलिवेदी पर झूल गये। ऐसे महान क्रांतिकारी, वीर शहीद का अपमान करना बहुत शर्मनाक, घृणास्पद वाक़या है। " इस मौके पर शहर के वरिष्ठ पत्रकार एवं शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह के पुतले को ससम्मान पुनः स्थापित किया जाये इस संदर्भ में पुनः नये शिरे से अलख जगानेवाले कवि, लेखक, पत्रकार सुभाष पांडेय ने बहुत ही अच्छे ढंग से मामले को उठाया है। उन्होंने भी राज्य-सरकार के संबंधित कार्यालय, मंत्रियों, स्थानीय विधायकों,मीरा-भाईंदर की महापौर, उप-महापौर , स्थायी समिति के सभापति अन्य जनप्रतिनिधियों को लिखित में पत्र दिया है। महापौर डिम्पल मेहता ने आश्वासन दिया है कि, इस मामले की गंभीरता से लिया जायेगा तथा मामले को ' महासभा ' में उठाया जायेगा। महापौर ने ' वीर शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह का स्मारक ' नियमानुसार, सरकारी जीआर के अनुसार पुनः भाईंदर स्थापित करने का आश्वासन दिया है। इस मौके पर ' आपका शहर ' के संपादक , सांस्कृतिक, सामाजिक संस्था ' पंख ' के अध्यक्ष ओ.पी.सिंह, युवा पत्रकार दीपा सिंह, ' प्रशिद्ध लेखन ' के संपादक शेषमणि यादव आदि गणमान्य व्यक्ति, पत्रकार, समाजसेवक उपस्थित थे।

विषय : शहीद भगत सिंह की प्रतिमा (पुतला) लगाने हेतु।

काइम

विषय : शहीद -ए- आज़म सरदार भगत सिंह के पुतले को

मिरा भाईदर महानगरपालिका

कार्यकारी अभियंता (सार्वा) यांचे कार्यालय

स्व. इंदीरा गांधी भवन, छत्रपती शिवाजी महाराज मार्ग,

भाईदर (प.), ता.जि.ठाणे- ४०१ १०१

प्रति,

श्री. सुभाष पांडेय

संस्थापक/ अध्यक्ष

अन्याय विरोधी संघर्ष समिती (रजि.)

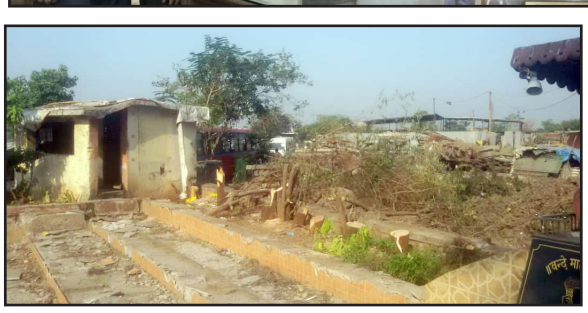

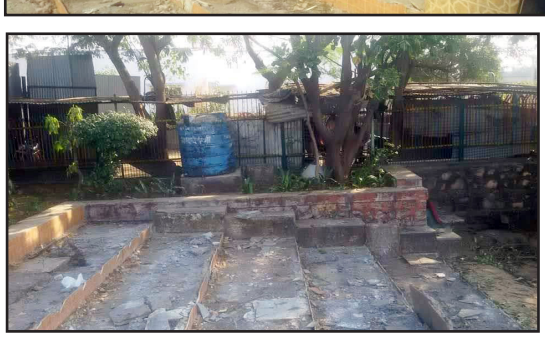

संपादकीय

न्यायसंगत आरक्षण

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई द्वारा अनुसूचित जाति आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत का समर्थन करने से एक महत्वपूर्ण तार्किक चर्चा फिर से प्रारंभ हो गई है। जिसका मकसद है कि कैसे सकारात्मक पहल करके आरक्षण के उद्देश्य को अधिक न्यायसंगत, लक्षित और प्रभावी बनाया जा सकता है। वास्तव में उनकी पहल का मकसद संवैधानिक सुरक्षा को कमजोर करने का नहीं है। बल्कि यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचे, जिन्हें वास्तव में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यानी कि अनुसूचित जाति समुदाय के सबसे गरीब, सामाजिक रूप से सबसे अधिक वंचित और आरक्षण के लाभ में सबसे कम प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ग को लाभ पहुंचाने का मकसद पूरा करना। बहुत संभव है कि मुख्य न्यायाधीश के इस विचार से असहमति के तर्क दिये जाएं। वास्तव में, देश में दशकों से आरक्षण की बहस कोटा बढ़ाने पर केंद्रित रही है, लेकिन उनके न्यायसंगत वितरण की दिशा में पर्याप्त पहल नहीं हो पायी है। निर्विवाद रूप से अनुसूचित जाति समुदाय के एक छोटे, अपेक्षाकृत बेहतर आर्थिक-सामाजिक स्थिति वाले वर्ग ने ही बार-बार शिक्षा और सरकारी रोजगार के अवसरों का लाभ उठाया है। वहीं दूसरी ओर पीढ़ी दर पीढ़ी अभावों के भंवर-जाल में फंसे परिवार- मसलन श्रमिक, सफाई कर्मचारी, भूमिहीन मजदूर परिवार लगातार हाशिये पर ही बने हुए हैं। यदि आरक्षण का मूल उद्देश्य संरचनात्मक असंतुलन को ही ठीक करना है तो इसके लाभ सीमित दायरे के लोगों को ही नहीं मिलना चाहिए। उल्लेखनीय है कि ओबीसी वर्ग के लिये यह प्रावधान सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है। इसमें दो राय नहीं कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत आरक्षण लाभ में इस तरह के एकाधिकार को रोकने का एक सशक्त साधन है। इस प्रावधान का वंचित अनुसूचित जातियों तक विस्तार करना एक बुनियादी सच्चाई को स्वीकार करता है कि सामाजिक गतिशीलता, हालांकि सीमित स्तर पर कुछ ही लोगों के लिये संभव हुई है। साथ ही अवसरों के अधिक न्यायसंगत वितरण को सुनिश्चित करने के लिये नीति को अनुकूलित किया जाना वक्त की जरूरत है।

वास्तव में वर्तमान स्थिति आरक्षण के न्यायसंगत लाभ वंचित वर्ग तक पहुंचाने में तार्किक नजर नहीं आती। जब किसी आईएएस अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी का बच्चा सामाजिक रूप से हाशिये पर गए वर्ग के किसी व्यक्ति के मुकाबले समान लाभों का दावा करना जारी रखता है तो इससे लक्षित उद्देश्य कमजोर हो जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रीमी लेयर को बाहर करने पर उनके जातिगत भेदभाव होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह केवल यही दर्शाता है कि किसी भी ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समूह के भीतर, वंचितता की स्थिति अलग-अलग होती है। ऐसी अवस्था में, सबसे निचले स्तर के लोग राज्य के संरक्षण पाने के लिये प्राथमिकता के हकदार हैं। निश्चित रूप से स्पष्ट मानदंड, सामाजिक पिछड़ेपन का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने और दुरुपयोग को रोकने के लिये कारगर सुरक्षा उपाय होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की टिप्पणी इस बात की ही परिचायक है कि सामाजिक न्याय का विस्तार होना चाहिए। अनुसूचित जातियों के आरक्षण से क्रीमी लेयर को सोच-समझकर बाहर करने से समानता के संवैधानिक वायदे की पुष्टि हो सकती है। इस पहल के विरोध में यह तर्क दिया जा सकता है यदि अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण के उपवर्गीकरण को मान्यता दी जाती है, तो पहले इससे लाभान्वित लोगों को सुरक्षा कवच न मिल सकेगा। उनका तर्क हो सकता है कि कई बार आरक्षित वर्ग के किसी व्यक्ति को उच्च पद पर पहुंच जाने के बावजूद किसी भेदभाव व उपेक्षा का सामना करना पड़ सकता है। निस्संदेह, इस कथन की तार्किकता विचारणीय है। लेकिन इसका एक निष्कर्ष यह भी हो सकता है कि सामाजिक विसंगति और आर्थिक विषमता दूर करने का एकमात्र साधन आरक्षण ही नहीं हो सकता है। यहां यह भी विचारणीय होना चाहिए कि कई पीढ़ियों से आरक्षण लाभ पा चुके लोग, स्वेच्छा से उसका परित्याग करें तो इस दिशा में धनात्मक वातावरण बन सकता है। निश्चित रूप से ऐसे कदमों से मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की सकारात्मक पहल को संबल मिल सकेगा।

सरकारी स्कूलों की आपराधिक उपेक्षा क्यों

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के एक लाख 19 हजार सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है; 98,592 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है; चौदह हजार से अधिक स्कूलों में पीने का पानी नहीं है; एक लाख से अधिक स्कूलों में सिर्फ एक अध्यापक एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ा रहा है। स्कूली शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में 'नीति' आयोग ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की है। यह विडंबना ही है कि 'नीट' की परीक्षा में हुई धांधली की धूल में नीति-आयोग की यह रिपोर्ट कहीं खो सी गयी है। इस रिपोर्ट के कुछ आंकड़े सिर्फ चौंकाते ही नहीं, परेशान भी करते हैं। जैसे, यह रिपोर्ट बताती है कि देश में सरकारी और निजी स्कूलों की स्थितियों का अंतर शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की उपेक्षा को ही उजागर नहीं करता, बल्कि यह भी बता रहा है कि देश के भविष्य को लेकर हमारी चिंताएं कितनी खोखली हैं।

प्रधानमंत्री एक से अधिक अवसरों पर अपने भाषणों में इस आशय के दावे कर चुके हैं कि देश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास कर रहा है। मसलन, एक भाषण में उन्होंने कहा था कि देश में प्रति सप्ताह एक नया विश्वविद्यालय खुल रहा है, हर रोज एक नया कॉलेज खुल रहा है। प्रधानमंत्री आईआईटी और आईआईएम के विस्तार के दावे भी कर चुके हैं। लेकिन नीति-आयोग की यह रिपोर्ट शिक्षा क्षेत्र की बुनियादी कमजोरियों को उजागर कर रही है। पिछले एक दशक के विश्लेषण पर आधारित यह रिपोर्ट बता रही है कि हमने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र को सरकारी और गैर-सरकारी में बांटकर समूची शिक्षा प्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिये हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश के एक लाख 19 हजार सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है; 98,592 स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है; चौदह हजार से अधिक स्कूलों में पीने का पानी नहीं है; एक लाख से अधिक स्कूलों में सिर्फ एक अध्यापक एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ा रहा है। रिपोर्ट में ऐसे और भी कई आंकड़े हैं जो यह बताते हैं कि शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्र में हम किस तरह की आपराधिक उपेक्षा बरत रहे हैं। उदाहरण के लिए सन् 2017 और 2024 के बीच देश में 87000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो गये, इसकी तुलना में निजी स्कूलों की जैसे बाढ़-सी आ रही है।

यह सही है कि हाल के कुछ सालों में, विशेष कर कोरोना-काल के बाद सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वालों की संख्या कुछ बढ़ी है, पर इसका कारण शिक्षा का स्तर नहीं, अभिभावकों की आर्थिक विवशता कहीं अधिक है।

वैसे, यह भी एक विडंबना ही है कि आज देश में हमारी शिक्षा भी गरीब और अमीर में बंट गयी है। मान लिया गया है कि आर्थिक अभावों से जूझ रहे परिवारों के बच्चों की विवशता है कि वे सरकारी स्कूलों में जाएं जहां पढ़ाई लगभग मुफ्त होती है। आर्थिक स्थिति जरा-सी भी सुधरती है तो यह अभिभावक महंगे स्कूलों की ओर रुख कर लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र का यह बंटवारा हमारी प्राथमिक चिंता होनी चाहिए। स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर ही विद्यार्थियों को 'छोटे-बड़े' का अहसास दिलाने वाली हमारी शिक्षा-नीति एक तरह से शिक्षा के अधिकार के हमारे दावों को ही झुठला रही है।

हम देश के हर बच्चे के शिक्षा के अधिकार की बात तो करते हैं, पर किस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है इस बारे में शायद सोचना ही नहीं चाह रहे। सन् 2021-22 में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में 10,22,386 सरकारी और 3,35,844 निजी स्कूल हैं। यहां निजी स्कूल का मतलब महंगी पढ़ाई और बेहतर सुविधा है। यह कतई ज़रूरी नहीं है कि महंगी पढ़ाई का मतलब अच्छी पढ़ाई ही हो– हां, इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले अभिभावक यह अहसास अवश्य जीते हैं कि उनका स्तर 'ऊंचा' है। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के बीमार सोच का पालन उन सबके लिए चिंता की बात होनी चाहिए जो समता-समानता के दर्शन वाले संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं।

'पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया' का नारा देने वाले को इस बात की भी चिंता होनी चाहिए कि 'इंडिया' क्या पढ़ रहा है? कैसी पढ़ाई कर रहा है। दुर्भाग्य से यह चिंता कहीं दिखाई नहीं देती। नीति-आयोग की इस महत्वपूर्ण रिपोर्ट में हमारे स्कूलों की स्थितियों को तो अच्छे ढंग से दिखाया गया है, पर जिस तरह से यह रिपोर्ट अचर्चित ही रही है, वह हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। आखिर हमें दो तरह की शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? क्यों नहीं देश के हर बच्चे को एक समान और अच्छे स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए? इस बारे में हमारा छोटा-सा पड़ोसी देश नेपाल भी हमें कुछ सिखा सकता है। सुना है नेपाल की नई सरकार ने हाल ही में देश के सारे निजी स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया है। वहां यह व्यवस्था की जा रही है कि सारी शिक्षा सरकारी स्कूलों के माध्यम से दी जाये ताकि सब बच्चे एक जैसे स्तर की शिक्षा पा सकें। शिक्षा का अधिकार जितना ज़रूरी है, उससे कम ज़रूरी नहीं है शिक्षा का समुचित अवसर मिलना। शिक्षा को निजी और सरकारी में बांटने का मतलब अवसर की समानता के अधिकार को नकारना है।

ज़रूरी है कि स्कूली शिक्षा प्रणाली और गुणवत्ता संवर्धन का विश्लेषण करने वाली इस रिपोर्ट पर देश में गहरा और व्यापक चिंतन हो। आज यह सवाल पूछे जाने की आवश्यकता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने का अर्थ घटिया शिक्षा पाना ही क्यों माना जाता है? क्यों नहीं हम सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि हमारे बच्चे गर्व से कहें कि वे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूलों में पानी हो, बिजली हो, शौचालय हो, अच्छी साफ-सुथरी कक्षाएं हों– और बच्चों को पढ़ाने वाले सक्षम अध्यापक हों, इन अपेक्षाओं को पूरा क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों यह नहीं सोचा जाता कि एकल अध्यापक वाले स्कूल में बच्चे उचित शिक्षा कैसे पा सकते हैं?

बात शिक्षा के स्तर की होनी चाहिए। हम विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा-प्रणाली वाला देश होने का दावा तो करते हैं, पर हमें इस बात पर शर्म क्यों नहीं आती कि हमारे स्कूलों में पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा दूसरी कक्षा का पाठ भी अच्छी तरह से क्यों नहीं पढ़ पाता?

निजी स्कूल इन और ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं हैं। इसका उत्तर सरकारी स्कूलों को सक्षम बनाना है। पिछले एक अर्से में देश में 42,000 निजी स्कूल खुले हैं और इस दौरान देश के 13 करोड़ सरकारी स्कूल घटकर 12 करोड़ रह गये हैं! यह एक करोड़ स्कूल कहां गायब हो गये? और क्यों गायब हो गये? सवाल बहुत सारे हैं। दुख की बात यह है कि कोई इनका जवाब देने की आवश्यकता नहीं समझ रहा। नीट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी निश्चित रूप से एक गंभीर बात है। देश के शिक्षा मंत्री को इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी इस बात की भी लेनी होगी कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण-व्यवस्था इतनी लचर क्यों है? क्यों सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं? क्यों सरकारी स्कूलों में शिक्षा के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है? क्यों स्कूलों में ऊंची कक्षाओं में बच्चों को बनाए रखना एक समस्या है? क्यों दस में से चार बच्चे माध्यमिक शिक्षा पूरी किये बिना ही स्कूल छोड़ देते हैं? इन और ऐसे सवालों के जवाब मांगना उतना ही ज़रूरी है जितना 'नीट' की परीक्षा का पारदर्शी होना।

मां-बाप का हक

संवेदनाओं के क्षरण व आत्मकेंद्रित होती नई पीढ़ी के दौर में मां-बाप की बेकद्री विचलित करने वाली है। यह विडंबना ही है कि उन मां-बाप की देखभाल करने का निर्देश अदालत को देना पड़ रहा है, जिनका ऋण वे कभी चुका ही नहीं सकते। मां के रक्त से सींचे गए और पिता की पसीने से पले-बढ़े बेटे से यदि अदालत को कहना पड़े कि 'मां को घर में रहने के लिये एक कमरा, अलग बाथरूम और बुनियादी सुविधाएं दी जाएं', तो यह बात शर्मसार करने वाला है। जिस मां ने नौ माह तक बेटे को अपने पेट में पाला, उसे घर में रहने देने के लिये अदालत को निर्देश देना पड़े, इससे बड़ा कृतघ्नता का दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। भले ही यह कोर्ट का आदेश हो, लेकिन यह एक अलिखित नैतिक दायित्व पहले से ही है। निश्चय ही यह घटनाक्रम हमारे समाज की बेहद कष्टदायक होती तसवीर को ही उकेरता है। सामान्य तौर पर मां-बाप अपना पेट काटकर, अपने सुख-सुविधाओं पर समझौता कर, बच्चों को बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करते हैं। एक मां-बाप ही होते हैं जो सच्चे मन से अपने बच्चों की तरक्की चाहते हैं। निस्संदेह, ऐसी पढ़ी-लिखी संतानों से अनपढ़ संतानें बेहतर हैं, जो कम से कम अपने वृद्ध माता-पिता के पास रहकर उनका ख्याल तो रखती हैं। यह सवाल परेशान करने वाला है कि जिस समाज में 'मातृ देवो भव' की सर्वस्वीकार्य मान्यता रही हो, वहां ये कैसी कलयुगी संतानें जन्म ले रही हैं? मां-बाप की बेकद्री की यह अकेली कहानी नहीं है, हर रोज अखबारों में ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जिसमें धन-संपत्ति के लिये मां-बाप से क्रूरता की जा रही होती है। निस्संदेह, यदि उनकी अवहेलना व उत्पीड़न का यह क्रम यूं ही चलता रहा तो बहुत संभव है भारत में भी पश्चिमी देशों जैस चलन शुरू हो जाएगा, जहां मां-बाप बच्चों को होश संभालने के बाद ही उन्हें पैरों पर खड़ा होने के लिये चलता कर देते हैं।

दरअसल, पश्चिमी देशों में मां-बाप मानकर चलते हैं कि बड़े होकर बच्चों ने उनकी देखभाल नहीं करनी, अतः इनसे पहले ही किनारा कर लो। आधुनिकता व तरक्की की लाख इबारतें लिख ली जाएं, भारतीय समाज कभी पश्चिमी समाज की तर्ज पर नहीं चल सकता। भारत श्रवण कुमार का देश है और आज भी अधिसंख्य संतानें अपने मातृ-पितृ ऋण उतारती हैं। उनका ख्याल रखती हैं। विकृतियां महानगरीय संस्कृति की भी देन हैं। बच्चों की भी अपनी दुश्वारियां हैं। फिर भी भारतीय संस्कृति में वो शक्ति है जो पारिवारिक मूल्यों को सींचती है। बहरहाल, माता-पिता की सेवा-सम्मान व बुढ़ापे में उनकी देखभाल करना महज एक सांस्कृतिक दिखावा नहीं है बल्कि संतानों का नैतिक-कानूनी दायित्व भी है। हाल ही में कोर्ट ने जिस घर में बेटे को वृद्ध मां को एक कमरा आदि देने को कहा, वह मकान वृद्धा के दिवंगत पति द्वारा ही बनाया गया था। जिसमें अपना हक पाने हेतु उसे न्यायिक हस्तक्षेप का सहारा लेना पड़ा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि किसी वृद्ध मां को आश्रय और आत्म स्वाभिमान हेतु बच्चों के खिलाफ कोर्ट-कचहरी करनी पड़े। निस्संदेह, यह उस भारतीय संयुक्त परिवार परंपरा का पराभव ही है जिसकी मिसाल पश्चिमी भोगवादी संस्कृति के अगुवा दिया करते थे। यहां न्यायालय के संवेदनशील व न्यायपूर्ण निर्णय की मुक्त कंठ से सराहना करनी होगी, जिसमें कोर्ट ने निर्णय के खिलाफ दी गई पुत्र की याचिका को खारिज कर जुर्माना लगाया। यह कष्टकारी ही है कि देशभर की अदालतें परित्यक्त-प्रताड़ित माता-पिता से जुड़े विवादों का सामना कर रही हैं। न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों ने दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों को बेदखल करने तक के आदेश दिए हैं। अदालतों द्वारा माता-पिता द्वारा अर्जित संपत्ति पर उनके अधिकारों को बरकरार रखने ने वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 को सुदृढ़ ही किया है। न्यायपालिका ने संपत्ति के अधिकार के साथ ही कल्याण संबंधी चिंताओं को भी सावधानीपूर्वक संतुलित किया है। न्यायालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि पारिवारिक झगड़ों में कानून का दुरुपयोग न हो। लेकिन फिर भी संकट का समाधान सिर्फ कानून से संभव नहीं है। हाईकोर्ट का फैसला संदेश देता है कि विरासत पर बातचीत हो सकती है, लेकिन मानवता पर नहीं।

संकलन : पत्रकार सुभाष पांडेय

वृत्तमानस

भाईंदरच्या शहीद भगतसिंह स्मारकाची वाताहत

जागेच्या शोधात पुतळा पेटीत बंद

लोकसत्ता

भगतसिंग यांच्या पुतळ्याची उपेक्षा

उद्यान हटविले, पण पुतळा त्याच जागी; मीरा-भाईंदर महापालिका प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष

दबंग दुनिया

स्वामी विवेकानंद जयंती, युवा दिवस आज

बड़े-बड़े दिग्गज बह जाएंगे। छोटे-मोटे की तो बात ही क्या है। तुम लोग कमर कसकर कार्य में जुट जाओ, हुंकार मात्र से हम दुनिया को पलट देंगे। -स्वामी विवेकानंद

मुंबई/उपनगर

रेलवे ने उद्यान उजाड़ा, अब लोगों ने की मूर्ति के स्थानांतरण की मांग

शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर ध्यान नहीं देने से आक्रोश

प्रहार

शहीद भगतसिंग यांची उपेक्षा

जनता की आवाज़

शहीद भगत सिंह की मूर्ति का मनपा प्रशासन कर रहा है नजरअंदाज

शहीद दिवस पर विशेष

भगत सिंह पर फिदा बदलती दुनिया के युवा

भायंदर सत्ता

संपादक राजदेव तिवारी

१६ से २२ जनवरी २०१६

मनपा ने किया शहीद भगत सिंह का अपमान

दोपहर का सामना

संस्थापक संपादक : बाल ठाकरे

गुरुवार १४ जनवरी २०१६

मलबे में दबी शहीद भगत सिंह की मूर्ति

मनपा प्रशासन कर रहा नजरअंदाज

राष्ट्रीय अधिकार

शहीद भगत सिंह मैदान में लगाने की मांग

क्राइम फेस

भाईंदर: शहीदे आजम भगतसिंह प्रेरणा स्मारक भाईंदर पश्चिम स्थित रेल्वे स्टेशन के समीप शहीद भगतसिंह उद्यान में २३ मार्च २००४ को स्वतंत्रता सेनानी रतनलाल जोशी व अन्य भगतसिंह के प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित करते हुए व अन्य

रसाज़ टाइम्स

मकर संक्रांति की सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

15 to 21 Jan. 2016

शहीद भगत सिंह की स्टेच्यु को शहीद भगत सिंह गार्डन में स्थानांतरित करने की ज़ोरदार माँग

नवभारत

बॉक्स में कैद शहीद भगत सिंह!

देश प्रेमियों ने जताई नाराजगी

स्वतंत्रता सेनानी जोशी ने दी थी प्रतिमा

भगत सिंह मैदान में स्थापित हो प्रतिमा

मुंबई हलचल

पुण्य नगरी

शहीद भगतसिंग यांची प्रतिमा पेटाऱ्यात बंद; नागरिक संतप्त

सिटी न्यूज़ / मुंबई समाचार

બાળકોનો બગીચો વેરવિખેર: સળવે માટે ઝાડોનું નિકંદન

मिड मॉर्निंग

शहीद भगत सिंह उद्यान ध्वस्त किए जाने से रेलवे प्रशासन के खिलाफ नागरिकों में रोष!

मी मराठी LIVE

बातमीतला मी!

क्रांतिकारी शहीद भगतसिंग पश्चिम रेल्वेच्या कैदेत!

मिरा-भाईंदरमध्ये संतापाची लाट

मुंबई तरुण भारत

पश्चिम रेल्वेच्या कैदेत शहीद भगतसिंगांचा पुतळा

क्रांतिकारकाच्या अवहेलनेमुळे मीरा-भाईंदरमध्ये संतापाची लाट

दबंग दुनिया

मनपा की 'कैद' में भगत सिंह

दोषियों पर हो कार्रवाई

नवनगर

स्वातंत्र्यासाठी ने हसत हसत फासावर लटकले; त्या भगतसिंगांचे स्मारक जागेअभावी अडकले

मिरा भाईंदर महानगरपालिका के नवनिर्वाचित नगरसेवकों के नाम, पता एवं संपर्क नंबर

अ.क्र.	प्रभाग क्र.	जागा क्र.	नगरसेवकाचे नाव	पत्ता	पक्षाचे नांव	दुरध्वनी क्रमांक
1		अ	शर्मा मानशी रमेश	रूम नं. 105, जय अंबे नगर २, चौपाटी रोड, रेल्वे स्टेशन जवळ, भाईंदर (प.)	भारतीय जनता पार्टी	8591106608
2	1	ब	एड. श्रध्दा संदिप कदम	अ/7, इब्राहिम टॉवर, स्टेशन रोड, भाईंदर (प.)	भारतीय जनता पार्टी	9819674978
3		क	तिवारी अशोक सुर्यदेव	302, चिरंजिव इंक्लिव, 90 फिट रोड, भाईंदर (प)	भारतीय जनता पार्टी	9769120555
4		ड	पंकज पांडेय (दरोगा)	बी/7, गणेश देवल नगर, जनता नगर रोड, भाईंदर (प.)	भारतीय जनता पार्टी	9322223502
5		अ	मयेकर रजनीकांत पांडुरंग	फ्लॅट नंबर जी-1, राहुल कुंज पॅलेस, राहुल पार्क कॉलनी, जेसल पार्क जवळ, भाईंदर (पुर्व), ४०११०५.	भारतीय जनता पार्टी	9869436162
6	2	ब	गोहील शानू जोरावरसींग	107/ऐ, रिजेन्सी, ऑल्ड रविराज कॉम्प्लेक्स, जेसल पार्क, भाईंदर (पुर्व), पिन ४०११०५.	भारतीय जनता पार्टी	7738297422
7		क	दत्ता जया रथीन	ए/202/203/204, ओस्तवाल पार्क, बिल्डींग नं. २, जेसल पार्क रोड, जैन मंदिर समोर, भाईंदर (पुर्व)	भारतीय जनता पार्टी	9833783946
8		ड	सिंह मदन उदितनारायण	बी/101, सर्जन टॉवर, जेसल पार्क, भाईंदर (पुर्व).	भारतीय जनता पार्टी	9322598737
9		अ	दिव्या प्रसाद परब	ए-303, कृष्णा लिला हाऊसिंग सोसायटी, बी.पी. रोड, देना बँक समोर, भाईंदर (पुर्व).	भारतीय जनता पार्टी	9833365959
10	3	ब	योगिता सतीप्रसाद शर्मा	डी/1114, भैरव रेसिडेन्सी, कनाकिया रोड, मिरारोड (पुर्व) ठाणे 401107.	भारतीय जनता पार्टी	9892302279
11		क	गणेश गोपाळ शेट्टी	रो हाउस नं 18, गोल्ड गोल्डन नेस्ट, फेज नं 3, मिरा भाईंदर रोड, मिरारोड (पुर्व) जि.ठाणे	भारतीय जनता पार्टी	9323190702
12		ड	तरुण सुभाष शर्मा	701, ओ विंग, इंद्रप्रस्थ टॉवर, जैन मंदिर जवळ, भाईंदर (पूर्व), 401105.	भारतीय जनता पार्टी	9920382492
13		अ	स्मिता विशाल पाटील	द्वारकाधिश बंगला, श्री सत्यनारायण मंदिर मार्ग, बी. पी. रोड, खारीगाव नाका, भाईंदर (पुर्व) ठाणे 401105	भारतीय जनता पार्टी	9833838314
14	4	ब	प्रेमनाथ गजानन पाटील	१०१, साईश्वर सुतार गल्ली बी. पी. रोड, खारीगाव, भाईंदर (पुर्व) ता.जि.ठाणे 401105	भारतीय जनता पार्टी	9892464945
15		क	गुप्ता कुसुम संतोष	ओ-103, रामदेव इनक्लेव्ह, आईमाता मंदीर रोड, साई सुमन हॉटेलच्या वरती भाईंदर (पुर्व) 401105.	भारतीय जनता पार्टी	9967318592
16		ड	पुरोहीत मधुसूदन मनोहरलाल	फ्लॅट क्र.1404/ए विंग, सोनम इंद्रप्रस्थ, ए-2, फेस -16, न्यु गोल्डन नेस्ट रोड, भाईंदर (पुर्व)	भारतीय जनता पार्टी	9820325595
17		अ	वंदना मंगेश पाटील	पहिला मजला, गुरूराज, बिपी रोड, खारीगांव, भाईंदर (पुर्व) ता. जि. ठाणे 401105	भारतीय जनता पार्टी	9224334445
18	5	ब	प्रियंका करणीदान	602/702जे सोनम पुष्प, गोल्डन नेस्ट फेज-1, मीरा रोड (पुर्व) 401105	भारतीय जनता पार्टी	9665095134
19		क	शाह राकेश रतीशचंद्र	बी-304, चामुंडा पॅलेस, गीता नगर, ९० फूट रोड, भाईंदर (प) 401105	भारतीय जनता पार्टी	9870099447
20		ड	सिंग श्रीप्रकाश जिलेदार	बि-101-108, ज्योती अपार्ट बी.पी. रोड भाईंदर (पुर्व)	भारतीय जनता पार्टी	9820443510
21		अ	मेबल नोएल कोरिया	104, रिमा अपार्टमेंट बाकोल स्ट्रीट क्रॉस गार्डन भाईंदर (प)	भारतीय जनता पार्टी	9987329481
22	6	ब	जैन सुनिता रमेश	ए- 303 वालचंद दर्शन को.ऑ. हौ.सो.लि. 150 रोड डी मार्ट जवळ भाईंदर (प)	भारतीय जनता पार्टी	8879890006
23		क	परेश जयंताल शाह	सी/210 राजुल 60 फुट रोड भाईंदर (प)	भारतीय जनता पार्टी	9819890981
24		ड	कोठारी भरतकुमार नथमलजी	बी/ 608 देवसृष्टी को.ऑ.हौ. सो. लि. 60 फुट रोड इंद्रकॉम्प्लेक्स समोर भाईंदर (प)	भारतीय जनता पार्टी	9892408771
25		अ	ध्रुवकिशोर मन्साराम पाटील	1701, श्री वल्लभ बिल्डिंग, डी-मार्टच्या मागे, भाईंदर (प.)	भारतीय जनता पार्टी	9004099099
26	7	ब	डॉ. भव्या पिपलिया (शाह)	सी/112, राशेष टॉवर, मॅक्सेस मॉलजवळ, भाईंदर (प.)	भारतीय जनता पार्टी	7045667712
27		क	आभा अमेय पाटील	3, यश बंगला, टेंबा रोड, भाईंदर (प.)	भारतीय जनता पार्टी	9819157794
28		ड	एड. रवि व्यास	बी-603, रितु राज को.ऑ. हौ. सो, पोद्दार स्कूल रोड, ओम साई कॉम्प्लेक्स, भाईदर (प)	भारतीय जनता पार्टी	9892815054
29		अ	किमया सुहास रकवी	204/205 साई केशव माधव टॉवर को. ऑ.हौ.सो, अमृतवाणी सत्संग मार्ग, भाईंदर (प.)	भारतीय जनता पार्टी	7738908138
30		ब	कोमल विठ्ठल नावन्धर	बी/1102 इंद्रप्रस्थ, न्यु गोल्डन नेस्ट, जैन मंदिर जवळ भाईंदर (पु.)	भारतीय जनता पार्टी	9987037397
31	8	क	भगवती तुगनचंद शर्मा	रो. हाऊस न. 1 नेमीनाथ पॅराडाईज पद्मावती कॉम्प्लेक्स 90 फुट रोड भाईंदर (प.) स्टेशन401101	भारतीय जनता पार्टी	9869401567
32		ड	सुरेश खंडेलवाल	1601/1602 श्री. वल्लभ, डी मार्ट मागे, भाईंदर वेस्ट, तालुका आणि जि. ठाणे	भारतीय जनता पार्टी	9892773388
33		अ	सुनील चंपालाल चौधरी	एच-102, श्रीनाथ कॉम्पलेक्स मिरा भाईंदर रोड, जुन्या पेट्रोल पंप जवळ, मिरारोड (पूर्व)	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस	9869183796
34	9	ब	रिवाना अनवर खान	बी-401, चंद्रेश अभिनंदन सोसायटी, लोधा कॉम्पलेक्स, मिरारोड (पु.)	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस	9920435034
35		क	सना खलील देशमुख	रो हाऊस क्र. 2, मिरा एन्क्लेव, लक्ष्मी पार्कच्या मागे, लोधा रोड, नया नगर, मिरारोड (पू)	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस	7738926768
36		ड	जय राजेंद्र ठाकूर	रा. 303, क्रिस्टल टॉवर, गिता नगर फेस-२ मिरा भाईंदर रोड, जवळ जुना पेट्रोल पंप, मिरारोड (पु.)	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस	9702606682
37		अ	महेश नरेश म्हात्रे	202, पांडुरंग पॅलेस, गोडदेव गांव, भाईंदर (पूर्व) 401105	भारतीय जनता पार्टी	9773456789
38	10	ब	विरकर आकांक्षा शंकर	फ्लॅट नं.001, तळमजला, स्टार लाईट सी.एच.एस.एल, इंद्रलोक कॉम्पलेक्स, फेज 2, भाईंदर (पुर्व)	भारतीय जनता पार्टी	8928775386
39		क	त्रिपाठी कविता सुशील	बी. 205 ज्योती टॉवर राहूल पार्क जेसल पार्क जवळ भाईंदर (पूर्व) ठाणे 401105	भारतीय जनता पार्टी	9324122483
40		ड	सावंत दिपक कल्याणराव	ए-302, नर्मदा पॅलेस, सहकारी गृहनिर्माण संस्था, काशीनगर गोडदेव गाव भाईंदर (पूर्व)	भारतीय जनता पार्टी	9833132170
41		अ	करुणा किशोर पाटील	मंजुळा स्मृती बंगला, नवघर गाव, दत्त मंदिर जवळ नवघर रोड, भाईंदर (पूर्व), 401105	भारतीय जनता पार्टी	8652735687
42	11	ब	पाटील वंदना विकास	श्री समर्थ कृपा बंगला तीसरा मजला, नवघर नाका, भाईंदर पूर्व ठाणे 401105	शिवसेना	9819144088
43		क	डोंगरे सचिन सुरेश	बी-110 न्यू मातृआशीष, nkgsb बँकच्या वरती, नवघर रोड, भाईंदर (पुर्व) ठाणे - 401105	भारतीय जनता पार्टी	9029292804
44		ड	विशाल जगन्नाथ पाटील	ए-102 शिर्डी नगर सी-9 नवघर फाटक रोड साई बाबा मंदिर जवळ भाईंदर (पूर्व)	भारतीय जनता पार्टी	9892357672
45		अ	लक्ष्मण गणपत जंगम	904, नक्षत्र टॉवर, बालाजी हॉस्पीटलच्या मागे, गोल्डन नेस्ट सर्कल जवळ, मिरा भाईंदर रोड, मिरा रोड (पूर्व) 401107	भारतीय जनता पार्टी	9323383191
46	12	ब	मेहता डिंपल विनोद	बी-204 पुनम एनक्लेव, मिरा भाईंदर रोड मिरारोड (पू.) अधिकारी	भारतीय जनता पार्टी	9867137658
47		क	स्नेहा शैलेश पांडे	403 सोनम बिल्डिंग कॉ.हॉ. सो.लि. बिल्डिंग नं 10, फेज नं 9, न्यु गोल्डन नेस्ट भाईंदर (पू) 401105	भारतीय जनता पार्टी	9323323894
48		ड	गेहलोत हसमुख मोहनलाल	403 विधी अपार्टमेंट दिपक हॉस्पिटल जवळ मिरा रोड (पूर्व) ठाणे 401107	भारतीय जनता पार्टी	9820722786

अ.क्र.	प्रभाग क्र.	जागा क्र.	नगरसेवकाचे नाव	पत्ता	पक्षाचे नांव	दुरध्वनी क्रमांक
49		अ	रुपाली शिंदे मोदी	सी/201, क्रिस्टल अपार्टमेंट, साई पेट्रोल पंप समोर, मिरा भाईंदर, मिरा रोड (पूर्व)	भारतीय जनता पार्टी	8691985112
50	13	ब	वैती विजया हेमचंद्र	घर नं 28 शांतीनिवास घोडबंदर गाव, मराठी शाळेजवळ मिरा भाईंदर 401107	भारतीय जनता पार्टी	9221426286
51		क	जैन प्रिती चंद्रकांत	2-बी-801, जे.पी. नॉर्थ गार्डन सिटी, विनयनगर, मिरा रोड (पूर्व) 401107	भारतीय जनता पार्टी	9619264847
52		ड	थेराडे संजय अनंत	एच/203, रश्मि हेतल को. ऑ. हौ. सो., इडन रोज कॉप्लेक्स, कनाकिया रोड, मिरा रोड (पूर्व)-401107	भारतीय जनता पार्टी	8879456155
53		अ	ज्योत्सना जालींदर हसनाले	ए/104, न्यु ग्रीन वुड कॉम्पलेक्स, काशिमिरा, माशाचा पाडा रोड, मिरारोड (पूर्व), -401107	भारतीय जनता पार्टी	9702719686
54		ब	पारधी तुषार यशवंत	259, पारधी निवास, मिरा गावठाण, महाजनवाडी, नित्यानंद शाळेजवळ, मिरा रोड (पूर्व), 401107	भारतीय जनता पार्टी	9820853219
55	14	क	यशोदा अनिल ताटे	701, गणेश ग्रीन विल्हेज, बिल्डिंग क्र.४, ग्रीन विलेज कॉम्पलेक्स, माशाचा पाडा रोड, मीरा रोड पूर्व,- 401107	भारतीय जनता पार्टी	8450949246
56		ड	भोसले अनिल बाबुराव	रुम नं.6, शिवशक्ती नगर, सेंट झेविअर्स स्कूल जवळ, माशाचा पाडा रोड, काशिमीरा, पो. मिरारोड,	अपक्ष	9820160593
57		अ	मोहन गोपाळ म्हात्रे	येशूबाई निवास दत्त मंदिर जवळ पेणकरपाडा	भारतीय जनता पार्टी	9819309424
58		ब	सुरेखा प्रकाश सोनार	अ-701 हिरलग्रीन्स अर्पाटमेंन्ट सिध्दीविनायक नगर मिरा रोड	भारतीय जनता पार्टी	9869068195
59	15	क	मनस्वी प्रमोद पाटील	1001 पूनम व्हॅली ए विंग प्लेझंट पार्क मिरा रोड	भारतीय जनता पार्टी	9892681282
60		ड	मनिष प्रितम परशर	203, हिरल अपार्टमेंट, सिद्धी विनायक नगर, मिरा रोड (पूर्व)	भारतीय जनता पार्टी	9820113171
61		अ	अनिता जयवंत पाटील	पाटील निवास शिव मंदिर जवळ, पेणकरपाडा, मिरारोड (पू) ठाणे 401107	भारतीय जनता पार्टी	9224425973
62		ब	जाट प्रतिभा चंदू	फ्लॅट नं 101, बी-1 शांती गार्डन सेक्टर 3, मिरारोड (पू) ठाणे 401107	भारतीय जनता पार्टी	9320421247
63	16	क	भावसार वंदना संजय	फ्लॅट नं 102, गौरव ज्युपिटर, गौरव गेलक्सी फेस २, सेंट पॉल शाळे जवळ, मिरारोड पुर्व 401107	भारतीय जनता पार्टी	9321036457
64		ड	नवीन गुप्तेश्वर सिंह	ए 102 श्रीकृष्ण गार्डन एक्सीलेन्स सीएचएस एमआयडीसी मिरा गाव नागोरी डेरी समोर मिरारोड (पू)	भारतीय जनता पार्टी	9892372600
65		अ	आनंद दत्ताराम मांजरेकर	फ्लॅट नं. ए/001, न्यू गोकुळधाम को. ऑ.हौ.सो.लि, मिरा रोड (पूर्व)	भारतीय जनता पार्टी	9920040175
66	17	ब	अरोरा दिपीका पंकज	सी/1402, अविराही बिल्डींग, प्रेम नगर, शांती गार्डन जवळ, मिरा रोड (पूर्व) 401107	भारतीय जनता पार्टी	8108544406
67		क	बेलानी हेमा राजेश	ओ-102 मिरा कुटीर अपार्ट. शांती पार्क, मिरारोड (पूर्व) 401107	भारतीय जनता पार्टी	8828798181
68		ड	दळवी प्रशांत ज्ञानदेव	603, बिल्डींग नं.5, सॉलीटीआर -1 पुनम गार्डन मिरारोड (पू) 401107	भारतीय जनता पार्टी	9867708777
69		अ	निर्मला बाबुराव सावळे	बी- 1707, ओमीया ओएसीस, मिरा रोड, गौरव व्हेली जवळ, घोडबंदर गाव मिरा रोड (पूर्व)	भारतीय जनता पार्टी	9892464100
70	18	ब	अॅड. मयुरी सचिन म्हात्रे	साई सदन, पहिला मजला, भंडार आळी, काशीगाव मिरारोड (पू)	भारतीय जनता पार्टी	8169546250
71		क	नीला सोन्स	ए-204, भैरव रेसिडेन्सी, कनाकिया रोड, कमिशनर बंगलो जवळ, मिरा रोड (पूर्व)	भारतीय जनता पार्टी	9892718100
72		ड	विवेक महेंद्र उपाध्याय	बंगला क्र.08, सिल्वर पॅराडाईस, सिल्वर पार्क, सुन्दर दर्शन कॉम्पलेक्स बाजूला, मिरा रोड (पू)	भारतीय जनता पार्टी	9082111872
73		अ	तारेन वेंचर मेंडोन्सा	टी. जे. विला, लेपोरा स्ट्रीट, भाईंदर (प.) 401105	भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस	9136895969
74	19	ब	शेख रुबिना फिरोज	1905, बी-3, पुनम इस्टेट, क्लस्टर-2, बालाजी रेस्टॅरंट समोर, सृष्टी, मिरारोड (पुर्व)	भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस	9819965958
75		क	आयरिन पॉल कॉड्रस	ए विंग 302, गोकुल व्हिलेज, लिटील फ्लॉवर चौक जवळ, शांती पार्क, मिरारोड (पुर्व)	भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस	9029464091
76		ड	अनिल दिवाकर सावंत	बी-52, पुनर्वसू, सृष्टी, सेक्टर-3, मिरारोड (पुर्व) 401107	भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस	9323226295
77		अ	परमार हेतल राल	फ्लॅट नं.ए/16-101, मातृ आशिष बिल्डींग, सेक्टर-10, शांती नगर, मिरारोड (पुर्व) 401107	भारतीय जनता पार्टी	8691900666
78	20	ब	भट दिप्ती शेखर	सी/18/403, सेक्टर-5, जैन शांतीनगर को.ऑ.हौ.सो.लि, शांतीनगर, मिरारोड (पुर्व) 401107	भारतीय जनता पार्टी	9987264875
79		क	संजय बाळाजी पवार	सी-11, राजदीप विला को.आ.हौ सो, गितानगर, फेस-1, मीरारोड (पुर्व) 401107	भारतीय जनता पार्टी	9821276856
80		ड	जैन दिनेश तेजराज	801 बिल्डींग क्र. 22/ए, शांतीवन बिल्डींग, सेक्टर-1, शांतीनगर, मिरारोड (पुर्व) 401107	भारतीय जनता पार्टी	9821246550
81		अ	कांबळी श्रध्दा सुधीर	फ्लॅट नं.101/102, बि.नं.92, पुनम कॉम्प्लेक्स, शांतीपार्क, मिरारोड (पुर्व) 401107	भारतीय जनता पार्टी	9653316176
82	21	ब	सिमा कमलेश शाह	ए-202 शीतल स्वर, शीतल नगर, एम.टी.एन.एल. रोड, मिरा रोड (पू), -401107	भारतीय जनता पार्टी	9820828096
83		क	दुबे मनोज रामनारायण	बी-607, ब्रम्हचारिणी को. ऑ.हौ. सोसा. जांगिड अपार्टमेंन्ट, शांतीपार्क, मिरा रोड पू,401107	भारतीय जनता पार्टी	9867935009
84		ड	अनिल रावजीभाई विराणी	बी-702, अविष्कार गार्डन, पूनम विहार सोसा. मिरा रोड पू, ठाणे-401107	भारतीय जनता पार्टी	9819842522
85		अ	रफिक गुलाब पठाण	एच-2, रुम नं.103, पुनमसागर कॉम्प्लेक्स, हौसिग सोसायटी, मिरारोड (पूर्व), ठाणे 401107	भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस	9967818773
86	22	ब	आफरीन मुझफ्फर हुसेन सय्यद	व्हीनस व्हिला, नया नगर, अस्मिता अस्कॉन - 2 समोर, मिरा रोड पू. ठाणे - 401107	भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस	8779299971
87		क	सौ. रुबिना फैजुल्ला शेख	001 स्वरुपी सरस्वती, नयानगर मिरारोड (पूर्व)	भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस	9820372023
88		ड	अशरफ अहमद मिस्त्री	बी/003, चंद्रेश क्लासिक, 60 फूट रोड, गणेश मंदीरच्या मागे, लोदा कॉम्प. मिरा रोड पू.	भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस	9819525253
89		अ	नयना गजानन म्हात्रे	मुर्धा गाव, रेव आगर, मराठी शाळे जवळ भाईंदर (प.) ता.जि. ठाणे 401101	भारतीय जनता पार्टी	9833058826
90	23	ब	भानुशाली वर्षा गिरधर	सी-602 जानकी हेरीटेज, 150 फीट रोड, भाईंदर (प.) चौकी 401101	भारतीय जनता पार्टी	9867610895
91		क	संजय वसंत थरथरे	903 हर्ष हाईट्स, 150 फिट रोड, भाईंदर (प.) ठाणे 401101	भारतीय जनता पार्टी	9870194141
92		ड	भोईर जयेश वत्सला भानुदास	किर्ती बंगलो, साई मंदिर, मुर्धा गाव, उत्तन रोड, भाईंदर प. ता.जि. ठाणे 401101	भारतीय जनता पार्टी	9920331001
93		अ	शॉन लिओ कोलासो	1095 कोलासो व्हिला, देवतलाव, उत्तन भाईंदर (प.) 401106	भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस	9892418083
94	24	ब	बागाजी शर्मिला विन्सन	उत्तन भाटेबंदर लाईट हाऊस जवळ वेंलंकणी चर्च रोड, भाईंदर (प.) 401106	शिवसेना	8369048398
95		क	डिमेलो फ्रिडा बर्नड	डिमेलो हाऊस, डोंगरी चौक रोड, पेट्रोल पंपाजवळ, पाली, पोस्ट-उत्तन भाईंदर (प.) 401106	शिवसेना	9892416144

मुंबई में महिलाओं को निशाना बना रहे साइबर शिकारी!

पहले दोस्ती, फिर धमकी; ऑनलाइन स्टॉकिंग और मॉर्फिंग से दहशत

मुंबई : सोशल मीडिया पर एक हाय, एक फ्रॉड रिक्वेस्ट या एक वीडियो कॉल और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग, मॉर्फिंग और ऑनलाइन आतंक का खतरनाक खेल। मुंबई में महिलाओं को फंसाकर उनकी तस्वीरों और निजी जानकारी के जरिए बदनाम करने वाले साइबर गिरोहों का जाल तेजी से फैल रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हॉट्सऐप अब सिर्फ बातचीत के मंच नहीं रहे, बल्कि महिलाओं को शिकार बनाने का सबसे बड़ा अड्डा बनते जा रहे हैं।

मुंबई पुलिस की जांच में सामने आया है कि साइबर अपराधियों ने महिलाओं को फंसाने के लिए पूरी डिजिटल ट्रैप फैक्ट्री खड़ी कर दी है। पहले फेक प्रोफाइल के जरिए दोस्ती की जाती है, फिर लगातार चैटिंग, इमोशनल बातें और भरोसा जीतने का खेल चलता है। जैसे ही सामने वाला भरोसे में आता है, निजी फोटो और वीडियो हासिल कर लिए जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है असली खेल, मॉर्फिंग, धमकी और ब्लैकमेलिंग।

पिछले तीन महीनों में मुंबई में फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल, मॉर्फिंग, ई-मेल और मैसेजिंग के जरिए महिलाओं को निशाना बनाने वाले करीब ६० मामले दर्ज हुए हैं। इनमें कई मामलों में आरोपी महिलाओं की तस्वीरों को अश्लील बनाकर वायरल करने की धमकी दे रहे थे। पुलिस ने २८ मामलों का खुलासा कर १* आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जांच एजेंसियों का मानना है कि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है।

जांच में यह भी सामने आया है कि अपराधी महिलाओं की सोशल मीडिया गतिविधियों पर लंबे समय तक नजर रखते हैं। कौन कहां जाती है, किससे मिलती है, परिवार में कौन है, किस तरह की तस्वीरें पोस्ट करती है, हर जानकारी चुपचाप इकट्ठा की जाती है। इसके बाद भावनात्मक जाल बिछाकर उन्हें अकेलेपन, दोस्ती या प्रेम के नाम पर फंसाया जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि जैसे ही महिला बातचीत बंद करती है या आरोपी को नकार देती है, वही दोस्त साइबर शिकारी बन जाता है। फर्जी अकाउंट बनाकर बदनामी, अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी और सोशल मीडिया पर पीछा करना अब आम हथियार बन चुके हैं।

मेट्रो आई, टैक्सी भी दौड़ी...अब रिक्शा यूनियनों में बढ़ी बेचैनी! काशीगांव मेट्रो स्टेशन पर भीड़ से ट्रैफिक जाम

दहिसर- काशीगांव मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद मीरा- भाईंदर शहर की यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। दहिसर से काशीगांव तक शुरू हुए मेट्रो के पहले चरण को यात्रियों का जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है। पिछले एक महीने में करीब 10 लाख यात्रियों ने इस मेट्रो सेवा का लाभ उठाया है।

मेट्रो यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या के बीच अब काशीगांव मेट्रो स्टेशन के नीचे साझा (शेयर) टैक्सी सेवा भी शुरू हो गई है। ऑटो रिक्शा के साथ टैक्सियों की मौजूदगी ने यात्रियों को राहत तो दी है, लेकिन इससे स्थानीय रिक्शा चालकों में नाराजगी बढ़ गई है।

बता दें कि मीरा- भाईंदर शहर में टैक्सी परमिट सीमित हैं। ऐसे में मुंबई में मिले परमिट के आधार पर कई टैक्सी चालक यहां सेवा दे रहे हैं। चूंकि फिलहाल मेट्रो सेवा केवल काशीगांव तक ही संचालित हो रही है, इसलिए बड़ी संख्या में यात्री इस मेट्रो स्टेशन से आगे गोल्डन नेस्ट और अन्य इलाकों तक पहुंचने के लिए साझा टैक्सियों का सहारा ले रहे हैं। टैक्सी चालकों ने इसके लिए साझा किराया प्रणाली भी शुरू कर दी है, जिससे यात्रियों को अपेक्षाकृत सस्ता और तेज विकल्प मिल रहा है।

हालांकि, यात्रियों का रुझान टैक्सियों की ओर बढ़ने से रिक्शा यूनियनों में असंतोष का माहौल बन गया है। रिक्शा चालक संगठनों का आरोप है कि बिना स्थानीय अनुमति के टैक्सियां शहर में संचालन कर रही हैं, जिससे उनके रोजगार पर असर पड़ रहा है। संगठनों ने यातायात पुलिस से मामले में हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं दूसरी ओर, काशीगांव मेट्रो स्टेशन के बाहर अब भीड़ और ट्रैफिक जाम की समस्या भी गंभीर होती जा रही है। मेट्रो से उतरने वाले हजारों यात्रियों की वजह से स्टेशन परिसर में भारी भीड़ जमा हो जाती है। आगे की यात्रा के लिए तुरंत रिक्शा या टैक्सी उपलब्ध नहीं होने से यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे सड़क पर अव्यवस्था और जाम की स्थिति बन रही है। मेट्रो सेवा ने जहां मीरा- भाईंदर के यात्रियों को राहत दी है, वहीं अब अंतिम चरण की कनेक्टिविटी और यातायात प्रबंधन प्रशासन के लिए नई चुनौती बनती जा रही है।

हाईवे प्रोजेक्ट में देरी पर सख्त हुए मंत्री प्रताप सरनाईक, 10 जून तक काम पूरा करने के निर्देश

दहिसर-गुजरात नेशनल हाईवे पर अधूरे फ्लाईओवर और धीमी गति से चल रहे सड़क निर्माण कार्य को लेकर राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कड़ा रुख अपनाया है।

आने वाले मानसून में ट्रैफिक जाम और जलभराव जैसी गंभीर समस्याओं से नागरिकों को बचाने के लिए मंत्री ने दिल्ली दरबार होटल क्षेत्र में चल रहे फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का मौके पर निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को 10 जून तक काम हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए।

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दहिसर से गुजरात नेशनल हाईवे तक सड़क और फ्लाईओवर निर्माण के लिए लगभग 600 करोड़ रुपये का फंड मंजूर किया गया था। इस फंड के तहत कंक्रीट रोड और फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन स्थानीय नागरिक लगातार काम की धीमी रफ्तार और घटिया गुणवत्ता की शिकायत कर रहे थे।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री सरनाईक ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर परियोजना में हो रही देरी और लापरवाही की जानकारी दी थी। अधिकारियों की ओर से केवल " काम प्रगति पर है " जैसे तकनीकी जवाब मिलने के बाद सरनाईक ने स्वयं स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।

मीरा-भाईंदर का दिल्ली दरबार होटल क्षेत्र इन दिनों ट्रैफिक जाम का प्रमुख केंद्र बन चुका है। यह इलाका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से सटा होने के कारण मानसून में यहां पहाड़ियों से भारी मात्रा में पानी सीधे सड़क पर उतरता है। उचित ड्रेनेज व्यवस्था नहीं होने से हाईवे पर जलभराव हो जाता है, जिससे मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर लंबा जाम लग जाता है।

निरीक्षण के दौरान मंत्री सरनाईक ने कहा कि मानसून बेहद करीब है। यदि पुल और सड़क का काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो मीरा भाईंदर की जनता को भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसलिए संबंधित विभागों को युद्ध स्तर पर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

हाईवे निरीक्षण के साथ मंत्री ने इलाके के प्राकृतिक नालों और जलनिकासी व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने मीरा भाईंदर महानगरपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों से सीधे संपर्क कर पहाड़ों से आने वाले पानी के सुचारु निकास की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही प्रशासन को मानसून से पहले नालों की तत्काल सफाई और जलप्रवाह व्यवस्था दुरुस्त करने के सख्त निर्देश दिए।

'मनोज' निकला 'नूर आलम', जबरन धर्मांतरण के लिए करता था मारपीट

महाराष्ट्र से जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है. यहां शादी के 16 साल बाद लव मैरिज करने वाली महिला ने अपने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. पत्नी ने भाईंदर के नवघर पुलिस स्टेशन में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. महिला का आरोप है कि पति ने पहले अपना असली नाम और धर्म छिपाकर उससे शादी की थी. अब वह जबरन धर्मांतरण के लिए मारपीट कर रहा है. जानकारी के मुताबिक, पीड़ित महिला का नाम प्रतिमा मल्हार है. उसने मनोज नाम के लड़के से लव मैरिज की थी. शादी के कुछ साल बाद उन्होंने एक बेटे को भी जन्म दिया. महिला ने आगे बताया कि शादी के करीब तीन साल बाद उसे पता लगा कि उसके पति का असली नाम मनोज नहीं बल्कि नूर आलम है. वोटर आईडी कार्ड पर लिखे नाम को देख इस पूरे मामले का खुलासा किया. शिकायत के मुताबिक, आरोपी पति का सच सामने आने के बाद वह पत्नी पर धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने लगा. महिला ने पती के खिलाफ मारपीट, प्रताड़ना और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए. पति से लगातार तंग आकर उसने अपना नाम बदलकर 'नसरीन आलम' रख लिया था. जानकारी के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों से नूर आलम ने पत्नी से दूरी बना ली थी. वहीं अब वह फरार चल रहा है. फिलहाल प्रतिमा मल्हार की शिकायत पर भाईंदर पुलिस स्टेशन में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है.

डिजिटल गिरफ्तारी और फर्जी ट्रेडिंग ऐप गिरोह पर साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पीड़ितों को लौटाए 26.97 लाख रुपये

मीरा- भाईंदर, वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत कार्यरत साइबर पुलिस ने डिजिटल गिरफ्तारी और फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप के जरिए हुई करोड़ों की ऑनलाइन ठगी के मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को कुल 26 लाख 97 हजार 216 रुपये की राशि वापस दिलाने में सफलता हासिल की है। साइबर पुलिस की तत्परता, बैंक खातों की तकनीकी जांच और न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से यह रकम बरामद की गई।

डिजिटल गिरफ्तारी के नाम पर महिला से ठगी 18.97 लाख रुपये वापस

मीरारोड पूर्व के नयानगर पुलिस थाना क्षेत्र निवासी श्रीमती वर्मा को व्हाट्सएप पर पुलिस की वर्दी पहने एक अज्ञात व्यक्ति का वीडियो कॉल आया। आरोपी ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि वह चर्चित नरेश गोयल मामले में शामिल हैं और जांच से बचने के लिए उन्हें पैसे देने होंगे। भयभीत होकर महिला ने आरोपियों द्वारा बताए गए बैंक खातों में बड़ी रकम ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी।

26.97 लाख रुपये पीड़ितों को लौटाए

बाद में ठगी का एहसास होने पर नयनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया तथा साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराया गया।जांच के दौरान साइबर पुलिस ने 12 संदिग्ध बैंक खातों की जानकारी जुटाई। लगातार समन्वय और पत्राचार के बाद 4 बैंक खातों में रकम फ्रीज कराई गई। न्यायालय में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के बाद साइबर पुलिस ने शिकायतकर्ता को 18 लाख 97 हजार 216 रुपये की राशि वापस दिलाई।

फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप से ठगी, पीड़ित को 4.50 लाख रुपये लौटे

मीरारोड पुलिस थाना क्षेत्र निवासी श्री सिंह ने टेलीग्राम पर अधिक मुनाफे का लालच देने वाला ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग ऐप का विज्ञापन देखा था। निवेश के नाम पर उन्होंने ऐप में बड़ी रकम जमा कर दी, लेकिन बाद में न तो रकम वापस मिली और न ही कोई लाभ।इस मामले में साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। जांच में 5 अलग-अलग बैंक खातों में धोखाधड़ी की रकम रोकी गई। न्यायालयीन आदेश के बाद साइबर पुलिस ने लगातार बैंक समन्वय कर पीड़ित के मूल खाते में 4 लाख 50 हजार रुपये वापस जमा कराए।

आईपीओ और ट्रेडिंग ऐप के नाम पर ठगी, 3.50 लाख की रिकवरी

काशीमीरा पुलिस थाना क्षेत्र निवासी श्री भाटिया सोशल मीडिया पर आए आईपीओ निवेश के विज्ञापन के झांसे में आ गए। आरोपियों ने उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप के जरिए निवेश कराया। जब उन्होंने पैसे निकालने का प्रयास किया तो पता चला कि उनके साथ साइबर धोखाधड़ी हुई है। शिकायत के बाद साइबर पुलिस ने 6 बैंक खातों में रकम होल्ड कराई और न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी कर पीड़ित को 3 लाख 50 हजार रुपये वापस दिलाए गए।

ऐसे ऑनलाइन जाल से बचने की सलाह

साइबर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भारी मुनाफे का दावा करने वाले विज्ञापनों पर भरोसा न करें। किसी भी ट्रेडिंग ऐप, आईपीओ योजना, क्रिप्टोकरेंसी या निवेश प्लेटफॉर्म में पैसा लगाने से पहले उसकी विश्वसनीयता की जांच अवश्य करें और वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।

पुलिस के अनुसार, ठग पहले लोगों को टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते हैं, फिर फर्जी मुनाफे के स्क्रीनशॉट और नकली सेबी प्रमाणपत्र दिखाकर विश्वास जीतते हैं।इसके बाद निश्चित और ऊंचे रिटर्न का लालच देकर निवेश कराते हैं और रकम हड़प लेते हैं। साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अपनी बैंकिंग, ओटीपी और वित्तीय जानकारी साझा न करें। ऑनलाइन ठगी होने पर तुरंत बैंक और साइबर हेल्पलाइन पर संपर्क करें।

यह पूरी कार्रवाई संदीप डोइफोडे, मदन बल्लाल के मार्गदर्शन में की गई। साइबर पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी एवं पुलिस निरीक्षक प्रकाश सावंत सहित स्वप्निल वावल, माणिकराव कतुरे, वैभव धनवाडे, माधुरी धिंदे, स्नेहल पुणे, सावन शेवाले, कुणाल सावले, विलास खाटिक, प्रवीण सावंत, सुवर्णा माली, राहुल बान, शुभम कांबले और राजेश भरकड़े ने जांच और रकम रिकवरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विरासत की नौकरी बनी मजबूरी, मीरा-भाईंदर में MBA और ग्रेजुएट कर्मचारी कर रहे टॉयलेट सफाई

मीरा- भाईंदर मनपा में विरासत अधिकार के तहत नियुक्त किए गए सफाई कर्मचारियों के शिक्षित वारिसों को अब केवल सफाई कार्य करने के निर्देश दिए जाने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्थिति ऐसी बन गई है कि एमबीए जैसी उच्च शिक्षा प्राप्त कर्मचारी भी शौचालय साफ करने को मजबूर हो रहे हैं। मनपा की आम सभा में पारित एक फैसले के बाद प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि सफाईकर्मी पद पर नियुक्त कर्मचारियों से केवल सफाई कार्य ही कराया जाएगा।

दरअसल, राज्य सरकार की नीति के तहत चौथे दर्जे के सफाई कर्मचारियों के वारिसों को मनपा सेवा में शामिल किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के परिवारों को रोजगार सुरक्षा और सामाजिक सम्मान देना है। इसके तहत कर्मचारियों की पत्नी, बेटे, बहू या नामित परिजनों को नौकरी में अवसर दिया जाता है।

विरासत भर्ती में गड़बड़ी के आरोप

अब तक मनपा प्रशासन इन उत्तराधिकारियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अलग-अलग विभागों में नियुक्त करता रहा था। लेकिन हाल के दिनों में विरासत अधिकार भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने लगीं। यह मुद्दा हाल ही में हुई महासभा में जोरदार तरीके से उठा, जहां सत्ताधारी भाजपा ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों का मामला उठाते हुए विस्तृत जांच की मांग की।

महासभा ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस मामले की पूरी जानकारी अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। तब तक सफाईकर्मी पद पर नियुक्त कर्मचारियों से केवल सफाई कार्य ही कराया जाए। इतना ही नहीं, सफाई के अतिरिक्त अन्य कार्य कर रहे कर्मचारियों का वेतन मई महीने से रोकने का भी फैसला लिया गया है।

योग्यता अलग-काम सफाई का

इस निर्णय से विरासत अधिकार के तहत नौकरी पाने वाले कई शिक्षित कर्मचारियों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है। निजी क्षेत्र में सीमित अवसर और आर्थिक मजबूरियों के चलते कई लोगों ने मनपा की नौकरी स्वीकार की थी। अब उन्हें उनकी योग्यता से अलग सफाई और शौचालय सफाई जैसे कार्य करने पड़ रहे हैं।

MBMC जन स्वास्थ्य विभाग के उपायुक्त सचिन बांगर ने कहा कि हाल ही में महासभा ने विरासत में मिले मनपा कर्मचारियों के संबंध में आदेश जारी किए हैं। संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति सफाईकर्मी के रूप में हुई है, इसलिए उन्हें केवल सफाई कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

राजस्व विभाग ने भेजे सैकड़ों नोटिस, कार्रवाई शून्य सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार का `ब्लैक होल' उजागर!

भायंदर : पारदर्शी सुशासन और अवैध निर्माणकार्यों के मामलों में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ढिंढोरा पीटने वाली महायुति सरकार की जमीनी हकीकत यह है कि राज्य के कई जिलों से जुड़े राजस्व विभाग कथित रूप से भ्रष्टाचार के 'ब्लैक हो ल' बन चुके हैं। ताजा मामला ठाणे जिला के अंतर्गत आने वाले मीरा-भायंदर शहर का है जहां के राजस्व विभाग के अपर तहसीलदार ने पिछले करीब दो सालों में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा और निर्माणकार्य करने वाले सैकड़ों लोगों को महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ की धारा ५० (3) के तहत नोटिस जारी की। यह धारा सरकारी (शासकीय) भूमि पर अनधिकृत कब्जे या अतिक्रमण को हटाने और दंडित करने से संबंधित है। सूचना के अधिकार के माध्यम से इस मामले को उजागार करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता एड. कृष्णा गुप्ता का आरोप है कि अपर तहसीलदार निलेश गोंड ने पहले तो एक ही मिलते जुलते क्रमांक वाले कई नोटिस अलग-अलग उल्लंघनकर्ताओं को जारी किए। सैकड़ों की संख्या में नोटिस जारी करने के बावजूद कार्यवाई के नाम पर केवल कुछ अवैध निर्माणकार्यों को तोड़ा गया, जिसके कारण इस मामले में भ्रष्टाचार होने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। आरोपों को बेबुनियाद और निराधार करार देते हुए अपर तहसीलदार निलेश गोंड ने दावा किया है कि जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए लगभग सभी के अवैध निर्माणकार्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, लेकिन कुछ मामलों में न्यायालय द्वारा पारित स्टे-ऑर्डर के कारण हमारे हाथ बंधे हुए हैं, कानूनी प्रक्रिया पूरी करके उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा।

कृष्णा गुप्ता ने राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और जिलाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाल को पत्र लिखकर पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच और अपर तहसीलदार सहित अन्य दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

'गोंड ने कहा कि हर एक उल्लंघनकर्ता को व्यक्तिगत नोटिस जारी किया गया, लेकिन जहां सामूहिक भूमि या फिर एक सर्वे नंबर है, उन नोटिसों पर समान आउटवर्ड नंबर डाले गए और सभी प्राप्तकर्ताओं के उनके हस्ताक्षर और फोन नंबर मौजूद हैं।'

मीरा-भाईंदर मनपा में बड़े घोटाले का दावा, भाजपा नेता ने उठाए सवाल

भाजपा नेता किरीट सोमैया ने मीरा-भाईंदर शहर में कथित तौर पर बनाए गए 3000 बोगस जन्म प्रमाणपत्रों के मामले में फोरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने मनपा प्रशासन और भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मामले की गंभीर जांच की आवश्यकता जताई।

बुधवार को सोमैया मीरा-भाईंदर महानगरपालिका पहुंचे, जहां उन्होंने मनपा आयुक्त राधाबिनोद शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नाम सुधारने के नाम पर हजारों फर्जी जन्म प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

दूसरे धर्म के लोगों के नाम पर नए प्रमाणपत्र किए तैयार

उनके अनुसार, मूल जन्म प्रमाणपत्र किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर थे, लेकिन उसी सीरियल नंबर का उपयोग कर दूसरे धर्म के लोगों के नाम पर नए प्रमाणपत्र तैयार किए गए। सोमैया ने दावा किया कि इस मामले की शिकायत पहले ही पुलिस थाने में की जा चुकी है और मनपा आयुक्त ने भी इस अनियमितता को स्वीकार किया है।

फर्जी दस्तावेजों के जरिए घुसपैठियों के बने आधार कार्ड

उन्होंने महापौर डिंपल मेहता, उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटील और भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप जैन से सभी संदिग्ध जन्म प्रमाणपत्रों की फोरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की। सोमैया ने आरोप लगाया कि मुंबई, ठाणे, भिवंडी, वसई और मीरा-भाईंदर समेत कई शहरों में बड़े पैमाने पर जन्म प्रमाणपत्र घोटाला हुआ है।

उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपात्र बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आधार कार्ड, डोमिसाइल प्रमाणपत्र और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मतदाता सूची से हटाए जाएंगे।

मीरा-भाईंदर में फर्जी ऑटो परमिट घोटाले पर सियासी घमासान, 28 संदिग्धों पर कार्रवाई शुरू

मीरा भाईंदर में फर्जी ऑटो-रिक्शा परमिट और आरटीओ बैच घोटाले को लेकर स्थानीय राजनीति में जबरदस्त घमासान मच गया है।

भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने आक्रामक अंदाज में जवाब देते हुए परिवहन विभाग का बचाव किया और आरोपों को अधूरी जानकारी पर आधारित बताया। दरअसल, विधायक नरेंद्र मेहता ने आरोप लगाया था कि मीरा-भाईंदर में कुछ लोगों ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, बनावट निवास प्रमाण पत्र, बिजली बिल, राशन कार्ड और पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों के आधार पर ऑटो-रिक्शा परमिट और आरटीओ बैच हासिल किए हैं।

इस शिकायत के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने तत्काल उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी किए। मंत्री सरनाईक ने बताया कि "आपले सरकार" पोर्टल के माध्यम से जारी निवास प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ऑनलाइन आवेदन और अन्य दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की गई।

इसी के तहत 13 अप्रैल को परिवहन विभाग ने तहसीलदार को पत्र भेजकर दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ की थी। जांच में करीब 28 लोगों के दस्तावेज संदिग्ध पाए गए, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

मंत्री ने इन संदिग्ध परमिट धारकों के परमिट तत्काल निलंबित करने के निर्देश भी दिए हैं और संबंधित प्रस्ताव सचिव स्तर पर मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। बता दें कि काशीगांव पुलिस स्टेशन में भी 28 लोगों के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी अनुमति और लाइसेंस प्राप्त करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

इसके बाद मंत्री सरनाईक और विधायक मेहता बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। सरनाईक ने मेहता पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवहन विभाग केवल अन्य सरकारी विभागों द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर परमिट और बैच जारी करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निवास प्रमाण पत्र राजस्व विभाग जारी करता है, जबकि पुलिस सत्यापन गृह विभाग के अंतर्गत आता है।

मीरा भाईंदर में बायोमाइनिंग अभियान तेज

दिसंबर 2026 तक डंपिंग ग्राउंड होगा कचरा मुक्त

भाईंदर : वर्षों से धुएं, दुर्गंध और प्रदूषण की मार झेल रहे भाईंदर पश्चिम के उत्तन डंपिंग ग्राउंड से अब शहरवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। मनपा ने बायोमाइनिंग तकनीक के जरिए यहां जमा करीब 10 लाख मीट्रिक टन कचरे में से 5 लाख मीट्रिक टन से अधिक कचरे का सफलतापूर्वक निपटान कर लिया है। प्रशासन ने दिसंबर 2026 तक पूरे डंपिंग ग्राउंड को पूरी तरह कचरा-मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। उत्तन के धवागी पहाड़ी क्षेत्र स्थित अपशिष्ट प्रसंस्करण केंद्र (घनकचरा प्रकल्प) के पास वर्षों से बिना प्रसंस्करण के कचरा जमा होता रहा, जिससे यहां कचरे के विशाल पहाड़ बन गए थे।

संयंत्र लंबे समय तक बंद रहने के कारण हालात और गंभीर हो गए थे। स्थानीय लोगों को धुएं, बदबू और प्रदूषण के चलते स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। डंपिंग ग्राउंड में लगने वाली आग से निकलने वाले धुएं के कारण सांस की बीमारियां बढ़ रही थीं, वहीं कचरे से निकलने वाला दूषित पानी खेतों तक पहुंचने से जमीन भी बंजर होने लगी थी।

इन समस्याओं के समाधान के लिए मनपा ने पुराने कचरे के निपटान हेतु बायोमाइनिंग परियोजना शुरू की थी, लेकिन शुरुआती ठेकेदार द्वारा काम अधूरा छोड़ने और नई निविदा प्रक्रिया में देरी के कारण यह योजना करीब 3 वर्षों तक अटकी रही। अगस्त में नई निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद मनपा ने काम तीन अलग-अलग संस्थाओं को सौंपा।

दिसंबर 2025 से कचरा प्रसंस्करण कार्य तेज गति से शुरू किया गया और पिछले चार महीनों में 10 लाख 41 हजार मीट्रिक टन कचरे में से आधे से अधिक का निपटान कर लिया गया है। मनपा ने इस बार पूरा प्रोजेक्ट एक ही ठेकेदार को देने के बजाय तीन संस्थाओं के बीच बांटा है। प्रशासन का कहना है कि जो संस्था तेजी और बेहतर गुणवत्ता के साथ काम करेगी, उसे अतिरिक्त कार्य सौपा जाएगा।

प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था के कारण काम में उल्लेखनीय तेजी आई है। हालांकि आगामी मानसून के दौरान सुरक्षा कारणों से कचरा प्रसंस्करण कार्य अस्थायी रूप से रोका जाएगा, मानसून समाप्त होने के बाद अभियान दोबारा तेज किया जाएगा। इस बीच बायोमाइनिंग प्रक्रिया में यह भी सामने आया है कि डंपिंग स्थल पर जमा कचरे की वास्तविक मात्रा शुरुआती अनुमान से कहीं अधिक हो सकती है। वर्षों से दबे कचरे की नई परतें सामने आने के बाद मनपा अब दोबारा विस्तृत सर्वेक्षण कराने की तैयारी में है।

मीरा-भाईंदर मनपा मुख्यालय के बाहर अवैध पार्किंग का जाल, सफाई कर्मी की मौत के बाद बढ़े सवाल

भाईंदर पश्चिम स्थित मीरा-भाईंदर मनपा मुख्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर अवैध पार्किंग का जाल लगातार फैलता जा रहा है। हालत यह है कि मुख्य गेट के आसपास बस स्टॉप से लेकर मनपा के इनवर्ड-आउटवर्ड कार्यालय तक इस अव्यवस्था की चपेट में हैं। सड़क किनारे बेतरतीब खड़े वाहनों के कारण यहां रोजाना ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। नागरिकों और कर्मचारियों का आरोप है कि मीरा-भाईंदर मनपा मुख्यालय जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र के बाहर लंबे समय से अवैध पार्किंग हो रही है, लेकिन संबंधित विभाग इस ओर गंभीरता नहीं दिखा रहा। इसी लापरवाही के बीच बीते मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया।

मुख्यालय के गेट पर अपनी ग्रेज्यूटी और अन्य हक की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही श्रमजीवी कामगार संगठन की सदस्य एवं सफाई कर्मी आशा सहनी को मनपा परिवहन सेवा की बस ने कुचल दिया। गंभीर रूप से घायल आशा सहनी की उपचार के दौरान बुधवार को मौत हो गई।

घटना के बाद श्रमजीवी कामगार संगठन ने मनपा प्रशासन और परिवहन विभाग पर गंभीर सवाल उठाते हुए दोषी बस चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

संगठन का कहना है कि यदि मुख्यालय के बाहर यातायात और पार्किंग व्यवस्था व्यवस्थित होती, तो यह हादसा टाला जा सकता था। अब इस घटना के बाद मनपा मुख्यालय के बाहर फैली अवैध पार्किंग और यातायात अव्यवस्था को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं।

MBMC आयुक्त ने प्री-मानसून नाला सफाई कार्यों का लिया जायजा, लापरवाही पर दी सख्त चेतावनी

आगामी मानसून को देखते हुए मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्र में चल रहे प्री-मानसून नाला सफाई अभियान का मंगलवार को आयुक्त राधाविनोद ए। शर्मा ने विभिन्न इलाकों में निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि नाला सफाई कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा सभी कार्य तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जाएं।

आयुक्त शर्मा ने शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा कर बड़े नालों, बंद सीवर लाइनों और जल निकासी व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान टाटा पावर हाउस मीरा रोड, जेपी इंफ्रा, साई पैलेस, लक्ष्मी बाग, रेलवे समानांतर नाले तथा डीबी रियल्टी क्षेत्र में चल रहे सफाई कार्यों की समीक्षा की गई।

जलभराव रोकने के लिए MBMC का बड़ा एक्शन

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नालों से गाद और कचरा पूरी तरह हटाया जाए, पानी का प्रवाह सुचारू रखा जाए तथा सफाई के बाद आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखी जाए। आयुक्त ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रमुख नालों पर मजबूत और उच्च गुणवत्ता वाली लोहे की जालियां लगाने के निर्देश दिए। साथ ही स्वच्छता निरीक्षकों को आदेशित किया कि बारिश के दौरान जालियों में फंसने वाले कचरे को तत्काल हटाया जाए, ताकि जल निकासी बाधित

न हो।

मीरा-भाईंदर में ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त करने पर जोर

जिन स्थानों पर नालों की चौड़ाई अधिक है, वहां अतिरिक्त कर्मचारियों और मशीनों की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए। सड़क किनारे और नाला निर्माण स्थलों पर पड़े मलबे को तुरंत हटाने का आदेश दिया गया। आयुक्त ने संबंधित वार्ड अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग कर कार्य समय पर पूर्ण कराने की जिम्मेदारी सौंपी। मनपा प्रशासन ने बताया कि मानसून के दौरान जलभराव, ट्रैफिक जाम और नागरिकों को होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती कदम तेजी से लागू किए जा रहे हैं।

निरीक्षण अभियान के दौरान अतिरिक्त आयुक्त डॉ. संभाजी पनपट्टे, अतिरिक्त आयुक्त प्रियंका राजपूत, उपायुक्त डॉ. सचिन बंगर, शहर अभियंता दीपक खांबित, कार्यकारी अभियंता शरद नानेगांवकर, सहायक आयुक्त योगेश गुणिजन, उद्यान अधीक्षक नागेश विरकर, स्वच्छता निरीक्षक, संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार उपस्थित रहे।

कुलाबा। ' हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार ' पंडित मुरलीधर पांडेय एक मुलाक़ात के दौरान ' महाराष्ट्र राज्य पुलिस मुख्यालय डीजीपी कार्यालय में राज्य के पुलिस महानिदेशक डॉ. सदानंद दाते को ' देश के साहित्यकारों में पंडित मुरलीधर पांडेय, पंडित मुरलीधर पांडेय का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, अभिनंदन-ग्रंथ ' संयोग प्रकाशन ' द्वारा प्रकाशित कई पुस्तकें भेंट स्वरूप दीं। इस अवसर पर साथ में मीरा-भाईंदर शहर के ' स्पेशल क्राइम रिपोर्टर ' व ' वरिष्ठ-पत्रकार ' सुभाष पांडेय छायाचित्र में दिखाई दे रहे हैं।

भाईंदर। कई दशकों से मीरा-भाईंदर में निष्पक्ष, निर्भय रूप से पत्रकारिता करनेवाले ' स्पेशल क्राइम रिपोर्टर ' सुभाष पांडेय को ' राहुल ग्रुप ' द्वारा कलम देकर सम्मानित करते हुए ' राहुल ग्रुप ' के चैयरमेन पंडित लल्लन तिवारी जी, साथ में हैं एडवोकेट राजकुमार मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार शिवपूजन पांडेय ।

मीरा-भाईंदर में पोस्ट ऑफिस बंद, लाखों नागरिकों को हो रही भारी परेशानी

भाईंदर : तेजी से विकसित हो रहे मीरा भाईंदर शहर में बुनियादी सरकारी सेवाओं की बदहाली अब लोगों के गुस्से का बड़ा कारण बनती जा रही है। भाईंदर पूर्व का पोस्ट ऑफिस पिछले कई महीनों से बंद होने के कारण लाखों नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के लोगों का आरोप है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित रह गए हैं, जबकि जमीनी स्तर पर समस्याएँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। भाईंदर पूर्व के बी। पी। रोड इलाके में कई वर्षों से संचालित हो रहा पोस्ट ऑफिस जिस इमारत में स्थित था, उसे खतरनाक घोषित कर दिया गया था।

इसके बाद इस कार्यालय को अस्थायी रूप से जैसल पार्क क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया था, लेकिन अगस्त महीने से यह पोस्ट ऑफिस पूरी तरह बंद कर दिया गया। डाक विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में पूछने पर उन्होंने बताया कि उपयुक्त जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण सेवा बंद करनी पड़ी। स्थिति यह है कि 13 से 15 लाख की आबादी वाले मीरा भाईंदर शहर में अब केवल मीरा रोड और भाईंदर पश्चिम में दो पोस्ट ऑफिस ही कार्यरत हैं। भाईंदर पूर्व के हजारों नागरिकों को छोटी-छोटी डाक सेवाओं के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। इसका सबसे अधिक असर वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, छात्रों और दैनिक कामकाजी लोगों पर पड़ रहा है। स्थानीय नागरिक राजू म्हात्रे का कहना है कि मौजूदा पोस्ट ऑफिसों में लोगों को घंटों लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है। कई जगहों पर न तो शेड की व्यवस्था है, न पीने के पानी की सुविधा और न ही पार्किंग की उचित व्यवस्था। गर्मी और उमस के बीच लोगों को बेहद कठिन परिस्थितियों में सरकारी सेवाएँ लेनी पड़ रही हैं।

लोगों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि शहर में विकास के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन बुनियादी केंद्रीय सरकारी सेवाओं की हालत बेहद खराब है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चुनाव खत्म होते ही जनप्रतिनिधि पूरी तरह निष्क्रय हो गए हैं। यहां तक कि चुने गए सांसद ने भी चुनाव के बाद मीरा-भाईंदर का एक भी दौरा नहीं किया।

शहर में उनका नियमित जनसंपर्क कार्यालय तक सक्रिय नहीं है। पोस्ट ऑफिस केवल चिट्ठी-पत्री तक सीमित सेवा नहीं है, बल्कि बैंकिंग, बचत योजनाएँ, सरकारी दस्तावेज, पार्सल सेवा और अनेक सरकारी सुविधाओं का महत्वपूर्ण केंद्र होता है। ऐसे में भाईंदर पूर्व में पोस्ट ऑफिस बंद होना लाखों लोगों के लिए गंभीर समस्या बन गया है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने प्रशासन, डाक विभाग और संबंधित जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि भायंदर ईस्ट में तत्काल नई जगह उपलब्ध कराकर पोस्ट ऑफिस दोबारा शुरू किया जाए।

> अगर मीरा-भाईंदर जैसे विकासशील शहर में लाखों लोगों को पोस्ट ऑफिस जैसी बुनियादी सुविधा के लिए दूर-दूर जाना पड़ता है, तो यह विकास नहीं बल्कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की नाकामी है। चुनाव से पहले किए गए वादे सिर्फ भाषणों तक सीमित रह गए है। भाईंदर पूर्व के लोगों को पोस्ट ऑफिस सेवा तुरंत उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है
>
> **– हर्षद ढगे, सामाजिक कार्यकर्ता**

आग बुझाएं या जनगणना करें ?

मीरा-भाईंदर मनपा के दमकलकर्मियों पर बढ़ा दोहरा बोझ

भाईंदर : मीरा-मेंलगातार बढ़ती आगजनी की घटनाओं के बीच दमकल विभाग के कर्मचारियों को जनगणना कार्य में लगाए जाने से शहर की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. पहले से ही कर्मचारियों की भारी कमी से जूझ रहे अग्निशमन विभाग पर अब अतिरिक्त प्रशासनिक जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ गया है, जिससे नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता गहराने लगी है. वर्तमान में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण शहर में आग लगने की लगातार कई घटनाएं घट चुकी हैं. लगातार बढ़ती घटनाओं के मुकाबले उपलब्ध मानव संसाधन बेहद कम साबित हो रहे हैं. इसके बावजूद मनपा प्रशासन ने अन्य विभागों की तरह अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को भी जनगणना कार्य में शामिल कर दिया है. हाल ही में एक निजी होटल में दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें पहले ही दिन करीब 50 कर्मचारियों ने भाग लिया. मनपा के दमकल विभाग में कुल लगभग 150 कर्मचारी हैं, जिनमें प्रत्येक शिफ्ट में केवल 50 कर्मचारी ही तैनात रहते हैं. ऐसे में प्रशिक्षण के लिए कर्मचारियों के बाहर जाने से कई अग्निशमन केंद्रों में स्टाफ की कमी महसूस की गई. उत्तन डंपिंग ग्राउंड सहित कई संवेदनशील इलाकों में लगातार आग लगने की घटनाओं के कारण आशंका जताई जा रही है कि यदि दमकलकर्मियों को इसी तरह अन्य कार्यों में व्यस्त रखा गया, तो किसी बड़ी आपात स्थिति में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. अतिरिक्त सचिवालय से कर्मचारियों में भी नाराजगी बढ़ रही है. इससे पहले भी सफाई अभियानों में दमकल कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा चुकी है. इस पूरे मामले पर दमकल विभाग के प्रमुख प्रकाश बोराडे ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर कर्मचारियों को जनगणना प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है.

बियर शॉप बने बार, खुलेआम बिक रहा व्हिस्की-रम

भाईंदर : वैसे तो बीयर की दुकानों पर बैठकर पीने-पिलाने पर पाबंदी है। बावजूद इसके मीरा-भायंदर शहर में कई बीयर की दुकानों ने आबकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मिनी बार का रूप ले लिया है, जहां खुलेआम पीने-पिलाने का दौर देर रात तक चलता है। स्थानीय निवासियों की शिकायत पर नवघर पुलिस ने भायंदर-पूर्व के इंद्रलोक इलाके में स्थित सदानंद बीयर शॉप पर छापा मारा। हालांकि, कार्रवाई होने की भनक लगते ही मालिक ने पुलिस के पहुंचने के पहले ही दुकान को बंद कर दिया था। पुलिस द्वारा दुकान खुलवाकर ली गई तलाशी के दौरान बीयर की खाली बोतलों के अलावा बड़ी मात्रा में विभिन्न ब्रांड की व्हिस्की, रम और वोदका की भरी हुई शीशियां भी बरामद की गई। पुलिस ने दुकान चालने वाले ५५ वर्षीय जगदीश पोमैया शेट्टी को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम-१९४९ की संबंधित धाराओं के तहत गैर कानूनी तरीके से दुकान को सार्वजनिक मद्यपान के लिए उपयोग करने और बियर के अलावा प्रतिबंधित शराब बेचकर परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया है। इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल से पांच साल तक का कारावास, २५,००० से ५०,००० रुपए तक का जुर्माने या दोनों की सजा हो सकती है। इसके अलावा आबकारी विभाग को इस तरह के नियमों के उल्लंघन (ब्रीच ऑफ रूल्स) के लिए ऐसी दुकानों का लाइसेंस रद्द या निलंबित करने का अधिकार प्राप्त है। ज्ञात हो कि शहर में ६० से अधिक पंजीकृत (एफएलबीआर) बीयर की दुकानें हैं, जिन्हें सिर्फ सीलबंद बीयर और वाइन बोतलों की खुदरा बिक्री (ओवर द काउंटर सेल) करने की अनुमति है। लेकिन हालात ये हैं कि अधिकतम बीयर शॉप के मालिक नाबालिग बच्चों और विद्यार्थियों सहित ग्राहकों को शराब बेचने या फिर दुकान के अंदर परोसने से भी नहीं हिचकिचाते हैं।

यह हिंदी पाक्षिक मालक, मुद्रक, प्रकाशक संजय डी. राय द्वारा ओम साई प्रिंटर्स, न्यू जय अम्बे एस्टेट, यूनिट नं. 7, ओल्ड सिंडिकेट बैंक के सामने, एचपी गैस गोडाऊन के पीछे, गोडदेव फाटक रोड, भाईदर (पूर्व) - 401 105 से मुद्रित कर 116 डी विंग, तुलसी छाया बिल्डिंग, नवघर क्रॉस तलाव रोड, भाईदर (पूर्व), जिला ठाणे 401 105 (महाराष्ट्र) यहां से प्रकाशित किया। इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी विवाद का निपटारा मा. ठाणे न्यायालय के अधिन होगा। संपादक संजय डी. राय, मोबाइल- 9967935711 / email: bhayandersun@gmail.com